उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 25.11.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व / निर्देशन पर प्रतिदिन की भाँति जनपदीय पुलिस के समस्त कार्यालयों/थानों में जनसुनवाई का आयोजन कर जनसामान्य की समस्याओं को किया गया निस्तारित-

आज दिनांक 25.11.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की गई, इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0 के0 गौतम, क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय व प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी हर्षिता गंगवार मौजूद रहे।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस के सभी कार्यालयों/थानों में सम्बन्धित प्रभारी द्वारा प्रतिदिन की भांति जनसुनवाई का आयोजन किया गया, इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया व प्राप्त शिकायतों का शीघ्र/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 25.11.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी चरखारी के नेतृत्व में थाना चरखारी/यातायाता पुलिस टीम द्वारा स्कूली छात्र/छात्राओं व स्थानीय लोगो को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरुक-

आज दिनांक 25.11.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में यातायात माह नवम्बर-2022 के अन्तर्गत निर्धारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना चरखारी श्री विनोद कुमार शुक्ला व यातायात प्रभारी निरीक्षक श्री शिवपाल सिंह मय थाना/यातायात पुलिस टीम द्वारा थाना चरखारी क्षेत्र के राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय चरखारी में यातायात जागरुकता अभियान के तहत जागरुक किया गया तथा रैली निकाल कर स्थानीय लोगो को यातायात नियमों की जानकारी दी गयी व यातायात नियमो/मिशन शक्ति से सम्बन्धित पम्पलेट वितरित किये गये।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी चरखारी, प्रभारी निरीक्षक थाना चरखारी, प्रभारी निरीक्षक यातायात द्वारा बताया गया कि पैदल चलने वाले सडक पर हमेशा बायी ओर चले, स्कूली बच्चे निर्धारित बस स्टॅाप से ही चढ़े व उतरें उतरने के बाद दोनों तरफ देखकर सावधानी से आगे बढ़े, ओवर स्पीडिंग न करें, दोपहिया वाहन चालक एवं सवारी हेलमेट अवश्य पहनें। लोगों को यातायात के नियमों के बारे में जागरुक करने, वाहन को ओवर स्पीड से न चलाने के साथ नियमित रुप से हेलमेट पहनने व चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट के प्रयोग हेतु प्रेरित करने की अपील की गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा साइबर सुरक्षा एवं मिशन शक्ति अभियान के बारे में सभी छात्र/छात्राओं को विभिन्न जानकारियों को साझा करते हुये जागरुक कर संवाद स्थापित किया गया।

थाना कबरई पुलिस टीम ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 25.11.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कबरई प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार द्वारा गठित टीम उ0नि0 सुनील कुमार मिश्रा द्वारा मु0अ0सं0 345/22 धारा 429 भादवि 11(1)(K) पशु क्रूरता अधिनियम व 5(ख) गोवध निवारण अधिनियम थाना कबरई से 02 नफर वांछित अभियुक्तगण 1. चिन्टू उर्फ चिन्तामणि पुत्र बद्दा उर्फ काशी प्रसाद तिवारी उम्र करीब 28 वर्ष व 2. लटोरा प्रजापति पुत्र महंदा प्रजापति उम्र 65 वर्ष निवासीगण ग्राम पहरा थाना कबरई जनपद महोबा को पहरा मोड़ के पास से ग्राम पहरा थाना कबरई जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायलय के समक्ष पेशी उपरान्त जेल भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुनील कुमार मिश्रा
2. कां0 शुभम जायसवाल

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. चिन्टू उर्फ चिन्तामणि पुत्र बद्दा उर्फ काशी प्रसाद तिवारी उम्र करीब 28 वर्ष
2. लटोरा प्रजापति पुत्र महंदा प्रजापति उम्र 65 वर्ष निवासीगण ग्राम पहरा थाना कबरई जनपद महोबा

जनपदीय स्वाट व थाना अजनर पुलिस टीम ने जनपद के विभिन्न स्थानों पर चोरी की घटना को कारित करने वाले 03 नफर शातिर चोरों को किया गिरफ्तार,कब्जे से चोरी की गयी सम्पत्ति सहित 01 अदद तमंचा व कारतूस बरामद ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 25.11.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय स्वाट व थाना अजनर प्रभारी निरीक्षक श्री शिवआसरे द्वारा गठित संयुक्त टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं. 226/2022 धारा 457/380 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.सुजीत पटेरिया पुत्र रामपाल पटेरिया उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मु0 बजरंग चौक थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा 2.प्रमोद कुशवाहा पुत्र सुखलाल कुशवाहा उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम अकौना थाना अजनर जनपद महोबा 3.जीवन अहिरवार पुत्र धर्मजीत अहिरवार उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम अकौना थाना अजनर जनपद महोबा को ग्राम अकौना के पास गिरफ्तार किया गया अभियुक्तगण द्वारा थाना अजनर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अकौना में व थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत श्रीमान जिलाधिकारी महोदय आवास के पीछे, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय आवास के पास, लौडी तिगैला व रामकथा मार्ग में तथा थाना कबरई क्षेत्रान्तर्गत मु0 राजेन्द्र नगर में तथा थाना श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत बेलाताल तिराहा में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। अभियुक्तगण से माल की बरामदगी करते हुए तथा अभियुक्त सुजीत पटेरिया उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होने व अभियुक्त प्रमोद कुशवाहा उपरोक्त के कब्जे से 02 अदद नाजायज जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होने पर थाना स्थानीय पर क्रमशः मु.अ.सं. 227/2022 व 228/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।गिरफ्तार अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।